सुधीर एन. और अन्य

बनाम

केरल राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 297-298/2015)

12 जनवरी, 2015

[न्यायाधिपति टी. एस. ठाकुर और न्यायाधिपति आर. भानुमती]

केरल चिकित्सा अधिकारियों का सेवा कोटा अधिनियम, 2008 के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश - धारा 5(4) - सेवा कोटा में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश - वरिष्ठता के आधार पर - आयोजित संवैधानिक वैधता: मेडिकल के विनियमन 9 के अनुसार भारतीय परिषद के विनियमों के अनुसार, प्रवेश सख्ती से उम्मीदवारों की परस्पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है, न कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए - योग्यता का निर्धारण करते समय ऐसी सेवा की आयु सीमा की अनुमति है। केवल विनियम 9 - धारा 5(4) के तीसरे परंतुक के संदर्भ में उम्मीदवार, क्योंकि यह एमसीआई विनियमों द्वारा निर्धारित आधार से भिन्न उम्मीदवारों के चयन के लिए एक आधार प्रदान करता है, यह राज्य विधायिका - मेडिकल काउंसिल की विधायी क्षमता से परे था। भारतीय अधिनियम, 1956- भारतीय चिकित्सा परिषद के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 - नियम 9

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 246 और सातवीं अनुसूची सूची I, प्रविष्टि 66 और सूची III प्रविष्टि 25।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाए गए विनियम 9 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश सख्ती से उम्मीदवारों की परस्पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। विनियमन आगे उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित करता है। विनियमन 9 अपने आप में एक पूर्ण कोड है क्योंकि यह उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आधार निर्धारित करता है जिसमें पारस्परिक योग्यता निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि भी शामिल है जो एकमात्र बनी हुई है ऐसे प्रवेशों के लिए आधार. हालाँकि, उस पद्धति को सेवा कोटा अधिनियम, 2008 के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में केरल चिकित्सा अधिकारियों के प्रवेश के विवादित कानून यानी धारा 5(4) द्वारा पहले ही अलविदा दे दिया गया है, जब यह प्रावधान करता है कि कोटा में प्रवेश चाहने वाले सेवारत उम्मीदवार सेवारत डॉक्टरों के लिए आरक्षित ऐसे प्रवेश को नियमों के नियम 9(2) द्वारा स्वीकृत पद्धतियों में से किसी एक के आधार पर नहीं बल्कि ऐसे उम्मीदवारों की परस्पर वरिष्ठता के आधार पर दिया जाएगा। [पैरा 12 और 14] (894-ई; 896-ई-एच)

2. उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि विवादित अधिनियम की धारा 5(4) के प्रावधान एमसीआई विनियमों द्वारा निर्धारित आधार से भिन्न उम्मीदवारों के चयन के लिए एक आधार प्रदान करते हैं, यह राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे है। हालाँकि, जब यह निर्देश दिया गया कि सेवारत उम्मीदवारों की वरिष्ठता एक भूमिका निभाती रहेगी, तो सुलहकारी दृष्टिकोण अपनाना सही नहीं था, बशर्ते कि संबंधित उम्मीदवार सामान्य प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए हों और विनियमों द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। मेधावी सेवाकालीन उम्मीदवार को केवल इसलिए प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके ऊपर एक योग्य वरिष्ठ है, हालांकि योग्यता में कम है। योग्यता और योग्यता ही किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों के

बीच प्रवेश का आधार हो सकतीसेवा में अभ्यर्थी एक ही श्रेणी के होते हैं। केवल वरिष्ठता को बढ़ावा देने के लिए उनकी परस्पर योग्यता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसका एमसीआई विनियमों की योजना में कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि योग्यता आधारित हो सेवारत उम्मीदवारों के प्रवेश में ऐसे उम्मीदवारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की गई सेवा को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। विनियम 9 के तीसरे परंतुक के संदर्भ में उम्मीदवारों की योग्यता का निर्धारण करते समय ऐसी सेवा के लिए वेटेज की अनुमति है। विनियम 9 सेवाकालीन उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए एकमात्र प्रभावी और अनुमेय आधार के रूप में बना हुआ है, लागू अधिनियम की धारा 5(4) के प्रावधानों के बावजूद ऐसा होने पर, प्रवेश केवल उक्त सिद्धांत के अनुसार निर्धारित उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता के आधार पर ही किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, जो वरिष्ठता की सरलता को कोई महत्व नहीं देता है। [पैरा 20] [905-एच; 906-ए-जी]

डॉ. प्रीति श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (1999)7 एससीसी 120: 1999 (1) पूरक एससीआर 249; मप्र राज्य एवं अन्य बनाम गोपाल डी. तीर्थानी एवं अन्य (2003) 7 एससीसी 83: 2003 (1) पूरक एससीआर 797; टी.एन राज्य और अन्य बनाम अधियामान शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान और अन्य। (1995) 4 एससीसी 104: 1995 (2) एससीआर 1075 - पर भरोसा किया गया।

वाद कानून संदर्भित

1999(1) पूरक एस सी आर 249	भरोसा किया	पैरा 9
2003(1) पूरक एस सी आर 797	भरोसा किया	पैरा 9
1995(2)एस सी आर 1075	भरोसा किया	पैरा16

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:सिविल अपील संख्या 297-298/2015

2009 (यू) के डब्ल्यूपी (सी) नंबर 1014 और 2010 (ए) के डब्ल्यूपी (सी) नंबर 2610 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 30.03.2011 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 299-300,301,302-303,304-305 और 306-307/2015

उपस्थित पक्षों के लिए जॉन मैथ्यू, पी. वी. दिनेश, लिज़ मैथ्यू, एम. एफ. फिलिप, केदार नाथ त्रिपाठी, के. राजीव, ई. एम. एस. अनम, गौरव शर्मा, प्रतीक भाटिया, सुश्री अमनदीप कौर, अमित कुमार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

न्यायाधिपति टी एस ठाकुर

1. अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें उत्तरदाताओं द्वारा दायर 2009 की रिट याचिका संख्या 1014 और 2010 की 2610 में केरल के एर्नाकुलम उच्च न्यायालय द्वारा पारित 30 मार्च 2011 के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकाओं को अनुमति दी है। यह निर्देश कि सेवा कोटा अधिनियम, 2008 (2008 का केरल अधिनियम 29) के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में केरल चिकित्सा अधिकारियों के प्रवेश की धारा 5(4) के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए सेवाकालीन चिकित्सा अधिकारियों का चयन सख्ती से किया जाएगा। उन उम्मीदवारों की परस्पर वरिष्ठता के आधार पर, जिन्होंने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा दी है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए विनियमों के संदर्भ में उस परीक्षा में न्यूनतम पात्रता बेंचमार्क प्राप्त किया है।

3. स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश के लिए केरल राज्य में उपलब्ध सीटों में से चालीस प्रतिशत सीटें स्वास्थ्य सेवा विभाग में सेवारत डॉक्टरों, मेडिकल कॉलेज व्याख्याताओं और राज्य के कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में सेवारत डॉक्टरों के लिए आरक्षित हैं। विवादित कानून के लागू होने से पहले प्रचलित प्रथा के अनुसार ऐसी आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रत्येक श्रेणी में सेवारत उम्मीदवारों की वरिष्ठता के आधार पर किया जाता था। हालाँकि, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2000 ने पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य कर दिया है। विनियम, अन्य बातों के अलावा, प्रदान करते हैं कि जो उम्मीदवार सामान्य प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होते हैं और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में 50% और एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में 40% अंक सुरक्षित करते हैं, वे ही ऐसे प्रवेश के लिए योग्य होंगे। परिणामस्वरूप, सेवारत उम्मीदवारों को भी सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होना पड़ा और उत्तीर्ण होना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को कई क्षेत्रों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि सेवारत उम्मीदवार जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनता के लाभ के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे थे, उन्हें अपने ज्ञान को अद्यतन करने और सामान्य योग्यता के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मुश्किल से समय मिल पाता है। उम्मीदवार सामान्य प्रवेश परीक्षा में आवश्यक 50% अंक प्राप्त कर सकें और किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें।इन अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के मामले में सेवारत उम्मीदवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया। कानून में राज्य सरकार की सेवा में चिकित्सा अधिकारियों के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर कोटा की परिकल्पना की गई है जो निर्धारित किए जा सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि, 2008 के

अधिनियम संख्या 29 की धारा 3 के अनुसार, सेवा कोटा के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए चिकित्सा अधिकारियों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाना था जिसे पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चिकित्सा चयन समिति कहा जाता है, जिसे धारा 4 के तहत गठित किया गया था। उक्त अधिनियम. अधिनियम की धारा 5 सरकार को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 'सेवा कोटा' के तहत चिकित्सा अधिकारियों के चयन के लिए किसी भी शैक्षणिक वर्ष के लिए राज्य कोटा में उपलब्ध कुल सीटों में से 40% से अधिक सीटें अलग करने का अधिकार नहीं देती है। धारा 5 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित अन्य योग्यताओं के अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ एमबीबीएस की डिग्री होगी। धारा 5 की उप-धारा (4) में स्नातकोत्तर चयन समिति को सेवारत चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर सीधे चयन सूची को अंतिम रूप देने और निर्धारित किए गए अन्य मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होती है। धारा 6 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के मामले में, जैसा भी मामला हो, 'ग्रामीण क्षेत्र सेवा' या 'कठिन ग्रामीण क्षेत्र सेवा' के लिए वेटेज देने का प्रावधान है। धारा 3, 4, 5 और 6 जिस हद तक प्रासंगिक हैं, उन्हें इस स्तर पर पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

> "3. सेवा के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चिकित्सा अधिकारियों का चयन कोटा.- भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 102) या उसके तहत जारी किए गए किसी भी नियम या विनियम या किसी अदालत या प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी भी बात के बावजूद, चिकित्सा अधिकारियों का चयन नहीं किया जा सकता है। सेवा कोटा के तहत राज्य में अध्ययन के स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाएगा।

4. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चिकित्सा चयन समिति का गठन -

(1) सरकार सेवा कोटा के तहत चिकित्सा अधिकारियों के चयन के उद्देश्य से निम्नलिखित पदेन सदस्यों के साथ एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चयन समिति का गठन कर सकती है, अर्थात्: -

ए) सरकार का रहस्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, केरल सरकार;

(बी) चिकित्सा शिक्षा निदेशक;

(सी) निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ;

(डी) बीमा चिकित्सा सेवा निदेशक;

(ई) चिकित्सा शिक्षा के संयुक्त निदेशक (एम);

(एफ) चिकित्सा शिक्षा के संयुक्त निदेशक (जी)

(2) शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग समिति के अध्यक्ष एवं निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, संयोजक होंगे।

(3) समिति अपने कार्यों का निर्वहन उस तरीके से करेगी जो निर्धारित किया जा सकता है।

5. चयन की प्रक्रिया. -

(1) सरकार मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकार के अधीन उनकी सेवा पर विचार करते हुए सेवा कोटा के तहत चिकित्सा अधिकारियों के चयन के लिए एक शैक्षणिक

वर्ष में राज्य कोटा के लिए उपलब्ध कुल सीटों में से चालीस प्रतिशत से अधिक सीटें अलग नहीं कर सकती है। राज्य के ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता एम.बी.बी.एस. होगी। न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री और अन्य योग्यताएं ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएं।

(3) प्रवेश के लिए पात्रता का विवरण, पाठ्यक्रमों की अवधि, आवंटन, भुगतान की जाने वाली फीस, सीटों का आरक्षण और ऐसे अन्य विवरण प्रवेश शुरू होने से पहले हर साल प्रॉस्पेक्टस में प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चयन समिति चिकित्सा अधिकारियों की सेवा में वरिष्ठता के आधार पर और निर्धारित किए गए अन्य मानदंडों का पालन करते हुए चयन सूची को अंतिम रूप देगी।

(5) उप-धारा (4) के तहत अंतिम रूप दी गई चयन सूची आवेदकों की जानकारी के लिए स्नातकोत्तर चयन समिति द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

6. ग्रामीण सेवा के लिए वेटेज. - प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी जिसके पास राज्य में 'ग्रामीण क्षेत्र सेवा' या 'कठिन ग्रामीण क्षेत्र सेवा' जैसी भी स्थिति हो, को चयन में उस तरीके से वेटेज दिया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है।"

4. उपरोक्त कानून से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं द्वारा अधिनियम की धारा 5(4) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 2009 की संख्या 1014

और 2010 की 2610 दायर की गई थी, जहां तक यह प्रावधान है कि 'सेवा कोटा में स्नातकोत्तर में प्रवेश होगा' केवल वरिष्ठता के आधार पर'। याचिकाकर्ताओं ने सेवा कोटा में स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए प्रासंगिक वर्ष के लिए प्रॉस्पेक्टस के कुछ प्रावधानों की वैधता पर भी सवाल उठाया, लेकिन जब याचिकाएं अंततः सुनवाई के लिए आईं तो राहत को सीमित करते हुए उन्होंने यह प्रार्थना छोड़ दी। रिट याचिका में चुनौती के तहत वैधानिक प्रावधानों की वैधता की घोषणा के लिए प्रार्थना की गई।

5. प्राथमिक आधार जिस पर रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा कानून की वैधता को चुनौती दी गई थी, वह यह था कि राज्य विधानमंडल ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयन को केवल वरिष्ठता पर निर्भर करेगा। संबंधित उम्मीदवारों के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तें निर्धारित किए बिना सेवा उम्मीदवारों। विवादित कानून की धारा 5(4) को अधिनियमित करने की राज्य विधानमंडल की क्षमता पर भी इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि उक्त कानून ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है, जो मेडिकल काउंसिल के तहत ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। भारत अधिनियम, 1956। यह तर्क दिया गया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान की गई हैं जिन्हें सभी उम्मीदवारों को पूरा करना होगा क्योंकि राज्य अधिनियम उक्त विनियमन और आवश्यकता के विपरीत है कि उम्मीदवारों का चयन केवल आधार पर किया जाएगा। वरिष्ठता के आधार पर यह केरल राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे था।रिट याचिकाकर्ताओं-प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम और इसके तहत बनाए गए एमसीआई विनियम केवल सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 66 के संदर्भ में हैं, सूची III में प्रविष्टि 25 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई भी कानून सूची । की प्रविष्टि 66 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद

द्वारा पारित इसके विपरीत किसी भी कानून के अधीन था। राज्य अधिनियम विचार के लिए आरक्षित था। राष्ट्रपति और इसे संविधान के अनुच्छेद 254(2) के संदर्भ में महामहिम की सहमति प्राप्त होने से कानून को विधायी अक्षमता के दोष से नहीं बचाया जा सका।

6. केरल राज्य ने याचिकाओं का विरोध किया और अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि राज्य अधिनियम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम और एमसीआई विनियमों से पूरी तरह अलग है। राज्य ने सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत कानून को उचित ठहराने का प्रयास किया और तर्क दिया कि यह किसी भी तरह से सूची I की प्रविष्टि 66 के साथ संघर्ष नहीं करता है। यह तर्क दिया गया कि चुनौती के तहत कानून के प्रमुख उद्देश्य को देखा जाना चाहिए, और वह उद्देश्य राज्य के अनुसार, किसी भी तरह से, केंद्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया गया ताकि न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े।

7. सेवारत डॉक्टरों की ओर से इस आधार पर अधिनियम को उचित ठहराने का प्रयास किया गया था कि, लेकिन, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेवा के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कोटा की अनुमति देने वाले प्रावधान के लिए नए स्नातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। शैक्षणिक रूप से उन अभ्यर्थियों से बेहतर हों जिन्होंने लंबे समय से अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और खुद को पूरी तरह से राज्य के दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है।

8. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे रिट याचिकाओं में प्रतिवादी के रूप में पेश किया गया था, ने हालांकि, रिट-याचिकाकर्ताओं (यहाँ उत्तरदाताओं) के मामले का समर्थन करते हुए कहा कि एमसीआई विनियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए छात्रों का चयन किया जा सकता है। उनकी पारस्परिक

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। इसलिए, चयन की कोई अन्य विधि आवश्यक निहितार्थ से निषिद्ध है। चूंकि राज्य विधान ने चयन की एक और विधि पेश करने का प्रयास किया है, जिसका एमसीआईआर नियमों को नष्ट करने का प्रभाव है, इसलिए लागू अधिनियम खराब था।

9. केरल उच्च न्यायालय ने, इन अपीलों में दिए गए निर्णय और आदेश द्वारा, सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर किया जा सकता है, बशर्ते कि उम्मीदवार सामान्य प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हों और अर्हता प्राप्त करें। यह डॉ. प्रीति श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर है। एवं अन्य (1999) 7 सेकंड 120 और राज्य म.प्र. एवं अन्य. वी. गोपाल डी. तीर्थानी और अन्य (2003) 7 एससीसी 83 ने माना कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम पात्रता अंकों के साथ प्रवेश परीक्षा का नुस्खा सूची । की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के भीतर है और राज्य विधानमंडल, सूची III की प्रविष्टि 25 के संदर्भ में, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जिसका प्रभाव सूची । की प्रविष्टि 66 के कब्जे वाले क्षेत्र में अतिक्रमण करने पर हो। उच्च न्यायालय ने कहा

> "उपरोक्त से निकलने वाले कानून के सिद्धांतों में यह शामिल है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम पात्रता बेंच मार्क के साथ प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता के बारे में नुस्खे सूची । में प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और योग्यता के अंतर्गत हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा सूची । में प्रविष्टि 25 के संदर्भ में एक कानून बनाने से सूची । में प्रविष्टि 66 के क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाला ऐसा कोई कानून बनाने में सक्षम नहीं होगा। आईएमसी अधिनियम की धारा 33 के तहत बनाए गए एमसीआई विनियम

अछूते हैं। किसी भी राज्य कानून द्वारा किसी भी विरोधाभास से। इसलिए, राज्य स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आम प्रवेश परीक्षा में भाग लेने और विनियमों में एमसीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता आवश्यकता प्राप्त करने के लिए, सेवारत उम्मीदवारों के लिए आवश्यकता को खत्म करने वाला कानून नहीं बना सकता है।"

10. उच्च न्यायालय ने तब माना कि विवादित अधिनियम की धारा 5(4) वरिष्ठता के आधार पर सेवारत चिकित्सा अधिकारियों की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान करती है, ऐसा चयन केवल सेवारत चिकित्सा अधिकारियों में से ही किया जाएगा। जो स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की सामान्य प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और एमसीआई विनियमों के संदर्भ में उस परीक्षा में न्यूनतम पात्रता बेंच मार्क प्राप्त किया है। उच्च न्यायालय ने कहा:

"निष्कर्ष यह है कि राज्य अधिनियम की धारा 5(4) में प्रावधान है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए सेवारत चिकित्सा अधिकारियों की चयन सूची सख्ती से वरिष्ठता के आधार पर होगी, इस आवश्यकता के अधीन है कि ऐसा चयन केवल किया जा सकता है उन सेवारत चिकित्सा अधिकारियों में से, जिन्होंने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है और एमसीआई विनियमों के संदर्भ में उस परीक्षा में न्यूनतम पात्रता बेंच मार्क प्राप्त किया है। यह घोषित किया गया है। इन रिट याचिकाओं को उस

11. वर्तमान अपीलें उपरोक्त आदेश और निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाती हैं।

12. एमसीआई अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के विनियम 9, अन्य बातों के अलावा, यह प्रावधान करता है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश सख्ती से उम्मीदवारों की परस्पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। विनियमन आगे उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की पद्धति निर्धारित करता है। यह बताता है:

"स्नातकोत्तर छात्रों का चयन

(1) (ए) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन उनकी परस्पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

(बी) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में 50% सीटें सरकारी सेवा में चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में कम से कम तीन साल तक सेवा की है। पीजी डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद, चिकित्सा अधिकारी सुदूर और/या कठिन क्षेत्रों में दो और वर्षों तक सेवा करेंगे।

(2) शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए, विश्वविद्यालय/संस्थान निम्नलिखित पद्धतियाँ अपना सकता है:

(ए) राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी या उसी राज्य में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों के समूह द्वारा आयोजित 'प्रतियोगी परीक्षा' द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर; या

(बी) राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित केंद्रीकृत प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर; या (सी) प्रथम, द्वितीय और तृतीय एमबीबीएस परीक्षाओं में व्यक्तिगत संचयी प्रदर्शन के आधार पर, बशर्ते प्रवेश विश्वविद्यालयवार हों; या

(डी) (ए) और (सी) का संयोजन।

बशर्ते कि जहां भी स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए 'प्रवेश परीक्षा' किसी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अन्य अधिकृत परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित की जाती है, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार।

बशर्ते कि गैर-सरकारी संस्थानों में कुल सीटों का पचास प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा भरा जाएगा और शेष पचास प्रतिशत संस्थान के प्रबंधन द्वारा पारस्परिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भरा जाएगा।

इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए योग्यता और प्रवेश परीक्षा का निर्धारण करते समय दूरस्थ या कठिन क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त अंकों के 10% की दर से प्राप्त अंकों के अधिकतम 30% तक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा।"

13. उपरोक्त में कोई संदेह नहीं है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाना है। उपविनियम (2) (सुप्रा) से यह स्पष्ट है कि "शैक्षणिक योग्यता" निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान उसमें निर्धारित किसी भी पद्धति को अपना सकता है। विनियम 9 के प्रावधान (1) के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 50% अंक प्राप्त करने

होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों को प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए प्रवेश परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। नियम 9 (सुप्रा) के तीसरे प्रावधान के अनुसार दूरस्थ और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रदान की गई सेवा के लिए वेटेज दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष प्राप्त अंकों के 10% की दर से अधिकतम 30% अंकों तक की दर से अनुमन्य किया जाता है।

14. विनियम 9, हमारी राय में, अपने आप में एक पूर्ण कोड है क्योंकि यह उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आधार निर्धारित करता है जिसमें पारस्परिक योग्यता निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि भी शामिल है जो ऐसे प्रवेशों के लिए एकमात्र आधार बनी हुई है। प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन के लिए उम्मीदवारों द्वारा विनियम 9 के तीसरे परंतुक में बताए गए तरीके और सीमा तक प्रदान की गई ग्रामीण सेवा के आधार पर वेटेज जोड़ा जा सकता है। यह कहना पर्याप्त है, लेकिन लागू कानून में बदलाव का प्रयास किया जा रहा है। जिस आधार पर प्रवेश दिए जा सकते हैं, ऐसे प्रवेश, सभी श्रेणियों में, ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार निर्धारित योग्यता के आधार पर ही किए जाने चाहिए। हालाँकि, उस पद्धति को आक्षेपित कानून द्वारा बाय-बाय कर दिया गया है, जब यह प्रावधान किया गया है कि सेवाकालीन डॉक्टरों के लिए आरक्षित कोटा में प्रवेश चाहने वाले सेवाकालीन उम्मीदवारों को ऐसा प्रवेश दिया जाएगा, न कि नियम द्वारा स्वीकृत पद्धतियों में से किसी एक के आधार पर। नियमों के 9(2) लेकिन ऐसे उम्मीदवारों की परस्पर वरिष्ठता के आधार पर। सवाल यह है कि क्या राज्य ऐसा कानून बनाने में सक्षम था। उस प्रश्न पर हमारा उत्तर नकारात्मक है। कारणों की तलाश बहुत दूर नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह विषय इस न्यायालय की कई घोषणाओं में पूरी तरह से शामिल है जिसका हम वर्तमान में उल्लेख करेंगे लेकिन ऐसा करने से पहले हम संविधान के अनुच्छेद 246 को निकाल सकते हैं जो इस प्रकार है:

"246. संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय

1. खंड (2) और (3) में किसी बात के बावजूद, संसद के पास सातवीं अनुसूची (इस संविधान में इसे संघ सूची के रूप में संदर्भित) की सूची I में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है।

2. खंड (3) में किसी भी बात के बावजूद, संसद और, खंड (1) के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी सातवीं अनुसूची में सूची III में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति है। इस संविधान को समवर्ती सूची कहा जाता है)

(3) खंड (1) और (2) के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास सातवीं अनुसूची में सूची II में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति है। संविधान को 'राज्य सूची' कहा जाता है?

4. संसद के पास भारत के किसी भी हिस्से (किसी राज्य में) शामिल नहीं होने पर किसी भी मामले के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है, भले ही ऐसा मामला राज्य सूची में शामिल हो।"

15. इस स्तर पर, हम सूची I की प्रविष्टि 66 का भी उल्लेख कर सकते हैं जो निम्नानुसार है:

"66. उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण।"

16. टी.एन. राज्य और अन्य बनाम अधियामन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान और अन्य (1995) 4 एससीसी 104 में, यह न्यायालय समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 की तुलना में संघ सूची की प्रविष्टि 66 के दायरे की जांच कर रहा था। तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की तुलना में तमिलनाडु निजी कॉलेज (विनियमन) अधिनियम और मद्रास विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान। इस न्यायालय ने माना कि केंद्रीय अधिनियम का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना था। ऐसी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे देश में सभी स्तरों पर प्रणाली। इस न्यायालय ने आगे माना कि केंद्रीय अधिनियम, अर्थात् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 सूची । की प्रविष्टि 66 और सूची III की प्रविष्टि 25 के दायरे में था और क़ानून के अंतर्गत आने वाले विषय पर राज्य न तो कोई कानून बना सकता है। 42 वें संशोधन के बाद सूची II की प्रविष्टि 11 और न ही सूची III की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत। यदि अनुच्छेद 372 के अर्थ के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कोई कानून मौजूद था, जैसे कि मद्रास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1923, तो केंद्रीय विधान, प्रतिकूलता की सीमा तक, ऐसे पहले से मौजूद कानून को निरस्त कर देगा। इस न्यायालय ने निम्नलिखित पैराग्राफ में कानूनी स्थिति और लागू परीक्षण का सारांश दिया:

> "41. उपरोक्त चर्चा से जो निकलकर आता है वह इस प्रकार है:
>
> (i) संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 66 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'समन्वय' का अर्थ केवल मूल्यांकन नहीं है। इसका मतलब विकास की एक निश्चित डिजाइन, योजना या योजना के अनुसार एक ठोस कार्यवाही के लिए एक समान पैटर्न बनाने की दृष्टि से सामंजस्य स्थापित करना है। इसलिए, इसमें न केवल मानकों में असमानताओं को दूर करने के लिए कार्यवाही शामिल है, बल्कि ऐसी

असमानताओं की घटना को रोकने के लिए भी कार्यवाही शामिल है। इसलिए, इसमें उन सभी चीजों को करने की शक्ति भी शामिल होगी जो 'समन्वय' को असंभव या कठिन बनाने से रोकने के लिए आवश्यक हैं। यह शक्ति पूर्ण और बिना शर्त है और किसी वैध बाध्यकारी कारण के अभाव में, इसे अपने स्पष्ट और स्पष्ट इरादे के अनुसार अपना पूरा प्रभाव देना चाहिए।

(ii) इस हद तक कि राज्य कानून केंद्रीय कानून के साथ टकराव में है, हालांकि पूर्व को सहवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत बनाया गया माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह प्रवेश के तहत केंद्र द्वारा बनाए गए अधीनस्थ कानून सहित कानून का अतिक्रमण करता है। समवर्ती सूची के 25 या संघ सूची की प्रविष्टि 66 को प्रभावी करने के लिए, यह शून्य और निष्क्रिय होगा।

(iii) यदि दो कानूनों के बीच कोई विरोधाभास है, जब तक कि राज्य कानून को अनुच्छेद 254 के खंड (2) के मुख्य भाग के प्रावधानों से बचाया नहीं जाता है, राज्य कानून केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है, वह निष्क्रिय होगा .

(iv) क्या राज्य का कानून संघ सूची की प्रविष्टि 66 का अतिक्रमण करता है, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल है, इसका निर्धारण दो कानूनों की जांच से किया जाएगा और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

(v) जब उपलब्ध स्थितियों/सीटों से अधिक आवेदक होते हैं, तो राज्य प्राधिकरण को आवेदकों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए केंद्र या केंद्रीय

प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उच्च मानकों या योग्यताओं को निर्धारित करने से नहीं रोका जाता है। जब राज्य प्राधिकरण ऐसा करता है, तो वह संघ सूची की प्रविष्टि 66 का अतिक्रमण नहीं करता है या ऐसा कानून नहीं बनाता है जो केंद्रीय कानून के प्रतिकूल हो।

(vi) हालाँकि, जब स्थितियाँ/सीटें उपलब्ध हों और राज्य प्राधिकारी किसी आवेदक को इस आधार पर अस्वीकार कर दें कि आवेदक उसके मानकों या योग्यताओं के अनुसार योग्य नहीं है, जैसा भी मामला हो, हालाँकि आवेदक मानकों को पूरा करता है या केंद्रीय कानून द्वारा निर्धारित योग्यताएं, वे असंवैधानिक रूप से कार्य करते हैं। इसी प्रकार, जब राज्य प्राधिकारी अपने द्वारा निर्धारित मानकों या आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के लिए किसी संस्थान की मान्यता रद्द या असंबद्ध कर देते हैं, भले ही वह केंद्रीय प्राधिकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और आवश्यकताओं को पूरा करता हो, तो राज्य प्राधिकारी अवैध रूप से कार्य करते हैं।"

17. डॉ. प्रीति श्रीवास्तव (सुप्रा) में एक प्रश्न जो विचार के लिए आया वह यह था कि क्या केंद्रीय विधान द्वारा सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत शिक्षा के मानक और प्रवेश मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बहुमत से माना कि शिक्षा के मानक और प्रवेश मानदंड सूची I की प्रविष्टि 66 और सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं। यह माना गया कि संघ और राज्य दोनों के पास इस पर कानून बनाने की शक्ति है। चिकित्सा शिक्षा सहित शिक्षा और राज्य को शिक्षा को नियंत्रित करने का अधिकार है क्योंकि यह क्षेत्र किसी भी संघ कानून द्वारा कब्जा नहीं किया गया है। जब उच्च चिकित्सा शिक्षा सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किए जाने वाले अधिकतम अंक

निर्धारित हैं, तो राज्य संघ सरकार द्वारा निर्धारित मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है। यह माना गया कि यह एमसीआई का काम है कि वह एससी/एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का निर्धारण करे और सार्वजनिक हित के बहाने या बहाने से उनके पक्ष में योग्यता अंक कम करे। बहुमत के लिए बोलते हुए, न्यायाधिपति सुजाता वी. मनोहर ने कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया:

> "35. अनुच्छेद 246 के तहत कानून बनाने के लिए संसद और राज्यों की विधायिकाओं की विधायी क्षमता संविधान की सातवीं अनुसूची द्वारा विनियमित है। मूल रूप से लागू सातवीं अनुसूची में, सूची II की प्रविष्टि 11 ने राज्य को एक विशेष शक्ति दी है सूची I की प्रविष्टियों 63, 64, 65 और 66 और सूची III की प्रविष्टि 25 के प्रावधानों के अधीन, "विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा" पर कानून बनाएं।
>
> सूची की प्रविष्टि 11 को हटा दिया गया था और सूची की प्रविष्टि 25 को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के परिणामस्वरूप 3-1-1976 से संशोधित किया गया था। समवर्ती सूची में वर्तमान प्रविष्टि 25 इस प्रकार है:
>
> "25. तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, सूची I की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के प्रावधानों के अधीन; श्रम का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।"
>
> प्रविष्टि 25, अन्य बातों के साथ-साथ, सूची I की प्रविष्टि 66 के अधीन है
>
> सूची I की प्रविष्टि 66 इस प्रकार है:

"66. उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण।"

केंद्र और राज्य दोनों के पास अन्य बातों के साथ-साथ सूची । की प्रविष्टि 66 में चिकित्सा शिक्षा, विषय सहित एक शिक्षा पर कानून बनाने की शक्ति है, जो उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए मानकों को निर्धारित करने के साथ-साथ समन्वय से संबंधित है। ऐसे मानकों का. इसलिए, एक राज्य को चिकित्सा शिक्षा सहित शिक्षा को नियंत्रित करने का अधिकार है, जब तक कि इस क्षेत्र पर किसी भी केंद्रीय कानून का कब्जा नहीं है। दूसरे, राज्य ऐसा नहीं कर सकता

राज्य में शिक्षा को नियंत्रित करना, उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानकों को प्रभावित करना। क्योंकि यह विशेष रूप से केंद्र सरकार के दायरे में है। इसलिए उच्च चिकित्सा शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में प्रवेश के लिए मानदंड निर्धारित करते समय। राज्य सूची । की प्रविष्टि 66 के तहत भारत संघ द्वारा निर्धारित मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है। दूसरे, इस विषय पर मामलों पर विचार करते समय यह भी याद रखना आवश्यक है कि 1977 से शिक्षा सहित, अन्य बातों के अलावा। चिकित्सा और विश्वविद्यालय शिक्षा अब समवर्ती सूची में है ताकि संघ प्रवेश मानदंडों पर भी कानून बना सके। यदि ऐसा होता है तो राज्य अनुच्छेद 254 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर इस क्षेत्र में कानून नहीं बना पाएगा।

36. यह कहना सही नहीं होगा कि प्रवेश के मानदंडों का शिक्षा के मानक से कोई संबंध नहीं है, या प्रवेश के नियम केवल सूची III की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आते हैं। प्रवेश के मानदंड शिक्षा के मानकों पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। बेशक, प्रवेश के लिए ऐसे नियम हो सकते हैं जो सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत शक्तियों के प्रयोग में संघ द्वारा निर्धारित शिक्षा के मानकों के अनुरूप हों या उन पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। उदाहरण के लिए, एक राज्य स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यताएँ निर्धारित कर सकता है। सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत निर्धारित के अतिरिक्त। यह उच्च शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उच्च मानकों को बढ़ावा देने के अनुरूप होगा। लेकिन निर्धारित मानदंडों को कम करने से उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता भी है। किसी संस्थान या कॉलेज में शिक्षा के मानक विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। इनमें से कुछ हैं:

(1) शिक्षण स्टाफ की क्षमता;

(2) दिए गए समयावधि में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उचित पाठ्यक्रम;

(3) छात्र-शिक्षक अनुपात;

(4) छात्रों और प्रत्येक छात्र के लिए उपलब्ध अस्पताल के बिस्तरों के बीच का अनुपात;

(5) संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों की क्षमता;

(6) मेडिकल कॉलेजों के मामले में प्रशिक्षण के लिए उपकरण और प्रयोगशाला सुविधाएं, या अस्पताल सुविधाएं;

(7) कॉलेज और संलग्न अस्पताल के लिए पर्याप्त आवास; और

(8) आयोजित परीक्षाओं का मानक जिसमें पेपर सेट करने और जांचने का तरीका और नैदानिक प्रदर्शन का मूल्यांकन शामिल है।"

(जोर दिया गया)

18. इस न्यायालय ने आगे कहा कि एमसीआई ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 33 के साथ पढ़ी गई धारा 20 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम बनाए हैं, जिसमें स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा शामिल है। ये नियम बाध्यकारी हैं और राज्य, सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, कोई भी नियम नहीं बना सकते हैं जो एमसीआई द्वारा बनाए गए नियमों के साथ टकराव में हों या उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों। चूँकि निर्धारित मानक सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हैं, उस शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से संघ सरकार के क्षेत्र में है। शिक्षा से संबंधित नियम बनाने की राज्य की शक्ति किसी भी मामले में केंद्र सरकार द्वारा उस संबंध में किए गए किसी भी प्रावधान के अधीन थी। न्यायालय ने कहा:

"52. भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री साल्वे ने सही ही कहा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद को अन्य बातों के साथ-साथ स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। धारा 33 के साथ पठित धारा 20 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद ने ऐसे नियम

बनाए हैं जो स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को नियंत्रित करते हैं। इसलिए, ये नियम बाध्यकारी हैं और राज्य सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत शक्ति का प्रयोग करके नियम नहीं बना सकते हैं और ऐसे नियम जो स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत हैं या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। चूंकि निर्धारित मानक सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में हैं।उस शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से केंद्र सरकार के क्षेत्र में है। सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत राज्यों की शक्तियाँ सूची I की प्रविष्टि 66 के अधीन हैं।

53. दूसरे, चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए शिक्षा से संबंधित नियम और विनियम बनाना राज्य की विशेष शक्ति नहीं है। इसलिए, सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति, निश्चित रूप से, अनुच्छेद 254 के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा उस संबंध में किए गए किसी भी मौजूदा प्रासंगिक प्रावधान के अधीन होगी। (जोर दिया गया)

19. हम इस स्तर पर गोपाल डी. तीर्थानी मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं। यह एक ऐसा मामला था जहां राज्य ने विशेष रूप से सेवारत उम्मीदवारों के लिए डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिशत को परिभाषित किया था। आरक्षण को चुनौती दी गई, लेकिन इस न्यायालय ने इसे यह कहते हुए बरकरार रखा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सेवारत उम्मीदवारों के लिए 20% सीटों को अलग करना आरक्षण नहीं था, बल्कि प्रवेश या प्रवेश के स्रोत का एक अलग और विशिष्ट चैनल था, जिसकी वैधता नहीं हो सकती। सांप्रदायिक आरक्षण पर लागू संवैधानिक सिद्धांतों पर निर्धारित। सेवारत उम्मीदवार और

वे जो सेवारत नहीं हैं, एक समझदार अंतर पर आधारित दो वर्ग हैं। इस तरह के वर्गीकरण द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य एक प्रशंसनीय उद्देश्य था क्योंकि ऐसे उम्मीदवार, उच्च शैक्षणिक उपलब्धियाँ हासिल करने के बाद, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात होने के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने माना कि जहां तक सामान्य प्रवेश परीक्षा का सवाल है, सेवारत उम्मीदवारों के लिए कोई छूट नहीं दी जा सकती है और उस उद्देश्य के लिए एमसीआई विनियमन में ढील नहीं दी जा सकती है। यह तर्क कि सेवारत उम्मीदवार सैद्धांतिक अध्ययन से अलग हो जाते हैं और इसलिए, अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इस न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस संबंध में निम्नलिखित अनुच्छेद उपयुक्त हैं:

> "25. पात्रता परीक्षा, जिसे प्रवेश परीक्षा या प्री-पीजी परीक्षा कहा जाता है, दोहरे उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाती है। सबसे पहले, यह एक उम्मीदवार के ज्ञान और बुद्धिमता का आकलन करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है कि क्या वह स्नातकोत्तर अध्ययन करने में सक्षम होगा यदि ऐसा करने का अवसर दिया जाता है; दूसरे, यह उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के उद्देश्य से है, जो काउंसलिंग में महत्वपूर्ण महत्व रखता है जब सफल उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों में आवंटित करने की बात आती है जिसमें सीटें सीमित हैं और कुछ विषयों को अधिक मलाईदार माना जाता है और दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित हैं। इसलिए न्यूनतम योग्यता प्रतिशत की अवधारणा को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि कोई प्रस्थान हो भी सकता है तो वह न्यूनतम होना चाहिए और वह भी केवल विशेषज्ञों की मंजूरी के बाद चिकित्सा शिक्षा

के क्षेत्र में जो वर्तमान में भारतीय चिकित्सा परिषद में एक निकाय के रूप में उपलब्ध हैं।

26. भारतीय चिकित्सा परिषद, वर्तमान में, अपने विनियमों के माध्यम से, एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर जोर देती है, जिसमें न्यूनतम योग्यता अंक 50% होंगे। मध्य प्रदेश राज्य को बनाए गए विनियमों की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा और प्रवेश के दो अलग-अलग चैनल होने पर भी एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है और केवल ऐसे उम्मीदवारों को मंजूरी दी जाती है जो एमसीआई विनियमों द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक सुरक्षित करते हैं। यदि राज्य के पास ऐसे नियम से हटने या किसी वर्गीकरण के पक्ष में अपवाद बनाने का कोई मामला है तो यह राज्य का काम है कि वह केंद्र सरकार और/या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रतिनिधित्व करे और औचित्य का मामला बनाए। दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले में इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणी के अनुरूप।"

(जोर दिया गया)

20. उपरोक्त घोषणाओं के आलोक में यह तर्क देना व्यर्थ है कि विवादित कानून तब भी कायम रह सकता है जब यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हो। उच्च न्यायालय, हमारी राय में, यह मानने में सही था कि विवादित अधिनियम की धारा 5 (4) के प्रावधान एमसीआई विनियमों द्वारा निर्धारित आधार से भिन्न उम्मीदवारों के चयन के लिए एक आधार प्रदान करते हैं, यह विधायी क्षमता से परे है। राज्य विधानमंडल. यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय ने एक सुलहकारी दृष्टिकोण अपनाया जब उसने निर्देश दिया कि सेवारत उम्मीदवारों की वरिष्ठता एक

भूमिका निभाती रहेगी, बशर्ते संबंधित उम्मीदवार सामान्य प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए हों और विनियमों द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने वह घोषणा सही नहीं की थी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि गोपाल डी. तीर्थानी के मामले (सुप्रा) में भी इस न्यायालय ने सेवारत उम्मीदवारों को उस श्रेणी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक अलग चैनल के रूप में मानने की अनुमति दी है, तब भी प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर दिया जा सकता है। एक मेधावी सेवाकालीन उम्मीदवार को केवल इसलिए प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके ऊपर एक योग्य वरिष्ठ है, भले ही वह योग्यता में कम हो। अब यह काफी अच्छी तरह से तय हो गया है कि केवल योग्यता और योग्यता ही किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच प्रवेश का आधार हो सकती है। सेवा में उम्मीदवार एक ही श्रेणी के होते हैं। केवल वरिष्ठता को बढ़ावा देने के लिए उनकी परस्पर योग्यता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसका एमसीआई विनियमों की योजना में कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए योग्यता आधारित प्रवेश में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में उम्मीदवार विनियम 9 (सुप्रा) के तीसरे प्रावधान के संदर्भ में उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करते समय ऐसी सेवा के लिए वेटेज की अनुमति है। यह कहना पर्याप्त है कि लागू अधिनियम की धारा 5(4) के प्रावधानों के बावजूद, विनियम 9 सेवारत उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए एकमात्र प्रभावी और स्वीकार्य आधार बना हुआ है। ऐसा होने पर, प्रवेश केवल उक्त सिद्धांत के अनुसार निर्धारित उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता के आधार पर ही किया जाना चाहिए, जो कि वरिष्ठता की सरलता को कोई महत्व नहीं देता है।

21. परिणामस्वरूप, ये अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।